न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

अपील संख्या 95/2021

निर्णय दिनांक

1. जगदीश प्रसाद माली पुत्र दौलाराम
2. गुलाब चन्द माली पुत्र मांगीलाल
3. प्रकाश पुत्र बुधाराम
4. रमेश पुत्र बुधाराम

   समस्त जाति माली, निवासीः ग्राम अचरोल, बडाला की ढाणी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. सूरजमल पुत्र सोहन
2. कानाराम पुत्र छीतर
3. मुकेश पुत्र छीतर
4. कमलेश पुत्र छीतर

   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. जगदीश पुत्र घासी (हजफ)
6. बल्लू पुत्र घासी
7. बाबूलाल पुत्र घासी
8. शिम्भू पुत्र पैमाराम (हजफ)

   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जरिये सचिव पता जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
11. उपपंजीयक महोदय आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
12. सरदार पुत्र सोहन जाति माली निवासी ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

........रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.10.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 45/2020 उनवान सूरजमल बनाम जगदीश व अन्य अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 17/11/2021

:-निर्णय-:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 45/2020 बउनवानी सूरजमल बनाम जगदीश व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2020 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता संख्या 977 के खसरा नंबर 4605 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खाता संख्या 976 के खसरा नंबर 4603 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4604 रकबा 0.22 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के पिता छीतर पुत्र लादू तथा तरतीबी अप्रार्थी संख्या 8 के नाम दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 6 के नाम भूमि खसरा नंबर 4603/7452 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4604/7453 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवम् खसरा नंबर 4605/7454 रकबा 0.01 हैक्टेयर दर्ज है तथा पडौसी खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की भूमि खसरा नंबर 4608 एवम् 4618 रकबा क्रमशः 0.57 एवम् 0.58 हैक्टेयर है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की भूमि के गत खसरा नंबर 1275 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा है जिसके हाल खसरा नंबर वादग्रस्त भूमि के अलावा 4594 लगायत 4598 बनाये गये है। दौराने भू प्रबंध कार्यवाही प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 4603, 4604 एवम् 4605 का नक्शा प्रथम बार तो पूर्व नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 1275 के अनुसार कायम कर दिया गया परन्तु भू प्रबंध कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् 4603/7452 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4604/7453 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवम् खसरा नंबर 4605/7454 रकबा 0.01 हैक्टेयर दर्ज कर अप्रार्थी संख्या 5 के नाम दर्ज कर दिये गये जो दौराने भू प्रबंध कार्यवाही, भू प्रबंध अधिकारी व कर्मचारियों ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थीगण के खसरा नंबरान् में बट्टा नंबर डालकर गलत दर्ज कर दी जिससे दुरूस्त करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। प्रार्थीगण की आराजीयात का नक्शा ट्रेस गत के अनुसार हाल कम कर दिया गया जिसकी घोषणा करवाकर पूर्व अनुसार हाल नक्शा ट्रेस तैयार करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज का फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण यदि आराजीयात को खुर्द-बुर्द करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है। प्रार्थीगण आराजीयात के काबिज, खातेदार एवम् काश्तकार है तथा उपरोक्त वर्णित आराजीयात का उपयोग-उपभोग कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया केस एवम् सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अंत में अनुतोष चाहा है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता संख्या 977 के खसरा नंबर 4605 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खाता संख्या 976 के खसरा नंबर 4603 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4604 रकबा 0.22 हैक्टेयर एवम् खसरा नंबर 4603/7452 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4604/7453 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवम् खसरा नंबर 4605/7454 रकबा 0.01 हैक्टेयर से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें तथा प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग-उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी, हस्तक्षेप, बाधा एवम् रूकावट ना तो स्वयं करें, ना ही किसी अन्य से करावे साथ ही मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनकर, बाद बहस मनन उभयपक्षकारान् को ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर के खाता संख्या 977 के खसरा नंबर 4605 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खाता संख्या 976 के खसरा नंबर 4603 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4604 रकबा 0.22 हैक्टेयर एवम् खसरा नंबर 4603/7452 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4604/7453 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवम् खसरा नंबर 4605/7454 रकबा 0.01 हैक्टेयर की मौके की

राजस्व ... प्राधिकारी
...पुर

यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी के संबंध में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वादी द्वारा बदनियतिपूर्वक अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया। विवादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है जिसका उपयोग अपीलार्थीगण व ग्रामवासी अपने आवास व खेतों में आने–जाने के लिये काम में लेते है। अपीलार्थीगण को अपनी स्वामित्व की आराजीयात में आने–जाने हेतु वादगस्त आराजीयात में से गुजरना होता है। अपीलार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से पीडित पक्षकार है जिन्हें न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान किया जावे। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के संबंध में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 04.02.2021 को तब हुई जब प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 4 ने जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को मौके पर चालू रास्ते में जो प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अवरोध पैदा कर रखा था, को हटाने लगे तब प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 ने जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को कहा कि आप विवादग्रस्त रास्ते के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते है क्योकि आराजीयात पर उपखण्ड अधिकारी आमेर, जयपुर का स्थगन आदेश है। उपरोक्त समय पर अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। चूंकि अपीलार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे इसलिए अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं हुई। अपीलार्थीगण को जानकारी होते ही अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 05.02.2021 को नकल प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर नकल प्राप्ति के पश्चात् कानूनी सलाह लेकर अपीलार्थी द्वारा अपील अविलम्ब प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुति में देरी उक्त कारणवश हुई है, जानबूझकर कारित नहीं की गई है। इस कारण अपील प्रस्तुति में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील को अंदर मियाद माना जावे। अपील के संबंध में अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस भूमि बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है वह भूमि गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अपीलार्थी को अपनी आराजीयात में पहुंच हेतु विवादित खसरा नंबर में से जाना होता है इस कारण अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया एवम् ना ही कोई सूचना दी गई। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी की अनुपस्थिति में एवम् अपीलार्थी का पक्ष सुने बिना पारित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2020 खारिज किया जावे।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों का खंडन करते हुए सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी के संबंध में निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 5 लगायत 12 अपीलाधीन आदेश से पीडित पक्षकार नहीं है एवम् ना ही प्रत्यर्थी संख्या 5 लगायत 12 द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि को रास्ते की भूमि वर्णित किया जा रहा है किन्तु मौके पर विवादित भूमि पर कोई चालू रास्ता नहीं है। खसरा नंबर 4607 गै.मु. रास्ता 0.02 हैक्टेयर मौके पर चालू है एवं उपयोग में लिया जा रहा है। अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार नहीं है। इस कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी खारिज करते हुए, अपील भी खारिज की जावे। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 04.02.2021 को होना वर्णित किया गया है जबकि वास्तव में दिनांक 04.02.2021 को मौके पर कोई घटना घटित नहीं हुई एवम् ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी मौके पर आये। अपीलार्थी द्वारा मात्र कपोल कल्पित घटना का वर्णन किया है। अपीलार्थी द्वारा देरी से अपील प्रस्तुत की गई है एवम् देरी बाबत कोई ठोस कारण न्यायालय हाजा के समक्ष नहीं बताये है। इस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जावे। अपील के संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि को रास्ते की भूमि वर्णित किया जा रहा है किन्तु मौके पर विवादित भूमि पर कोई चालू रास्ता नहीं है। खसरा नंबर 4607 गै.मु. रास्ता 0.02 हैक्टेयर मौके पर चालू है एवं उपयोग में लिया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है जो विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के आदेशात्मक प्रावधान अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में अंतिम निर्णय के विरूद्व ही अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश से कोई आपत्ति थी तो अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही करनी चाहिये थी, प्रकरण के इस स्तर पर न्यायालय हाजा को अपील की सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज की जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2015 पेज 351, आर.आर.टी. 2017 पेज 1371, आर.आर.टी. 2018 पेज 548, आर.आर.टी. 2014(1) पेज 409 पेश किये।

5. अभिभाषक पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय के जिस आदेश दिनांक 21.10.2020 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है, उस आदेश का प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी के सन्दर्भ में अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.10.2020 के द्वारा एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, वह आगामी तारीख पेशी तक जारी की गई है जिसकी अपील माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय आर.आर.टी 2014(1) पृष्ठ संख्या 409 में पृष्ठ संख्या 441 के प्रश्न संख्या 2 के उत्तर अनुसार ऐसे आदेशों की अपील प्रतिबन्धित की गई है अर्थात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आगामी पेशी तक एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व अपील, न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार भी नहीं है। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी सर्वप्रथम अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें जिस पर यदि अधिनस्थ न्यायालय प्रार्थी को पक्षकार बनाना उचित समझे तब ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी 2014(1) पृष्ठ संख्या 409 के अनुसरण में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील ही संधारणीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी मय मूल अपील खारिज किया जाना न्यायोचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

5. अतः प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी मय मूल अपील खारिज किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2020 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 17/11/2021 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर